

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक **CT/8/0007/2024-Sec-1-05(CT)(30)** : राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT/8/0007/2024-Sec-1-05(CT)(19) दिनांक 08.08.2024 के खण्ड 1 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21 नवम्बर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिसूचना के खण्ड 2 एवं 3 प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. CT-8-0007-2024-Sec-1—पांच (CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0007-2024-Sec-1—पांच (CT) (30), दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 20th November 2024

No. CT/8/0007/2024-Sec-1-05(CT)(30) : In exercise of the powers conferred by sub clause (2) of clause 1 of the notification no. CT/8/0007/2024-Sec-1-05(CT)(19) dated 08-08-2024 of this department, the State Government hereby appoints 21st day of November, 2024, as the date, on which the provisions of clause 2 and 3 of the said notification, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.